

52

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

दिनांक— 24-06-2025

विषय— श्री सुशील कुमार भगत द्वारा भागलपुर जिलान्तर्गत शहजादपुर मौजा के खाता संख्या—84, खेसरा संख्या—116, 117, 119, थाना संख्या—145, अंचल—शाहकुण्ड में अकबरनगर—शाहकुण्ड SH-85 पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.0108 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में।

प्रसंग— आपका पत्रांक 690, दिनांक 10.06.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Approach/140357/2021/318, दिनांक 28.05.2025 द्वारा दो भागों में (A में 1—6 शर्त एवं B में 1—10 शर्त) सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी है। उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित कर रहा हूँ—

भाग—A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the Stae Forest Department.

1. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रु. 9,13,386.00 को मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506270140357211, Union Bank of India, Bengaluru में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 16.06.2025 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.-UCBAR52025061600362756 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।

2. NPV के मद में मेरे द्वारा द्वारा 0.0108 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 9,57,780/- प्रति हे० की दर से कुल रु० 10,344/- को बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506270140357211, Union Bank of India, Bengaluru में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 16.06.2025 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.-UCBAR52025061600362756 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।

3. मेरे द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV की राशि को e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर Union Bank of India, Bengaluru के खाता में दिनांक 16.06.2025 को जमा करा दी गयी है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।

4. जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा निर्गत FRA-2006 प्रमाण—पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।

5. मेरे द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

6. मेरे द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry ds Website-
<http://parivesh.nic.in> पर अपलोड कर दिया गया है।



भाग-B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the Usr Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage – II approval:

1. अपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करूंगा।
2. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
3. मेरे द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होता है तो, उसका भुगतान करेंगे।
4. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
5. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
6. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
7. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
8. (a) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- (b) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- (c) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
9. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
10. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार मेरे द्वारा सभी शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि मेरे द्वारा समर्पित परियोजना पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त

विश्वासभाजन

Sushil Kumar Bhagat

सुशील कुमार भगत,
पिता-श्री राम रामपति भगत,
ग्राम+पोस्ट-पंचरुखी, थाना-शाहकुण्ड,
जिला-भागलपुर, पिन-813108



UCO BANK

COUNTER FOIL

Form NEFT ☐ RTGS ☐

Branch PACHRUKHI

Date 16/06/2025 Time 12:00PM

By Cash/Cheque/Transfer for RTGS/
NEFT remittance favouring

BIHAR CAMPA

Beneficiary A/c No: 15062014035

Bank: UNION BANK OF INDIA

Branch: FCS CENTRE, MISSION

IFS Code: UBIN0996335

Account Type:

Amount ₹ 923730

Charges ₹

Total Amount ₹

Total Amount in words:

Remitter Name: SUSHIL KUMAR

Remitter A/c No: 129705100019

Address: AT & PO PACHRUKHI,
DIST. BHAGALPUR

Sushil Kumar Bhagat
Seal/Signature of Customer/Remitter

Mobile No. 9431531000

PAN:

(Refer terms of remittance overleaf.)

UCBAAR 52025061600362956

Branch Seal



Signature of Authorised Signatory

**कार्यालय, जिला पदाधिकारी, भागलपुर के तहत रैखिक परियोजना निर्माण हेतु
FRA 2006 प्रमाण-पत्र**

(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली
द्वारा दिनांक 28.10.2014 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत)

संख्या.....दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि भागलपुर जिला में प्रयोक्ता एजेंसी श्री सुशील कुमार भगत, मौजा-शहजादपुर, थाना-शाहकुंड, थाना सं०-145, खाता सं०-84, खेसरा/प्लॉट नं०-116, 117 एवं 119, हे०-0.0108, अंचल-शाहकुंड, जिला-भागलपुर द्वारा IOCL का पेट्रोल पम्प रिटेल आउटलेट निर्माण हेतु सुरक्षित वन भूमि अपयोजन (Diversion) हेतु प्रयोक्ता एजेंसी के आवेदन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक-491 दिनांक-19.06.2021 द्वारा FRA, 2006 प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा समर्पित किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, भागलपुर के पत्रांक-1666/सा०, दिनांक-02.05.2022 से प्राप्त प्रतिवेदन एवं जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, भागलपुर के ज्ञापांक-291 दिनांक-30.04.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया है।

तदुपरोक्त में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, भागलपुर एवं जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, भागलपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कंडिका-1 में वर्णित) के लिए अपयोजित होनेवाली भूमि पर अवस्थित वृक्षारोपण दिनांक-13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गाँव में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।

६०/-
जिलाधिकारी,
भागलपुर।

ज्ञापांक.....1827.../सा०, भागलपुर, दिनांक 02/05/2022

प्रतिलिपि :- वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर वन प्रमंडल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) -सह- नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

जिलाधिकारी,
भागलपुर।